भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 890 12.12.2022 को उत्तर के लिए

अवैध रेत खनन

890 श्री पी.सी. मोहन:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि देश भर में अतीत में अवैध खनन को रोकने के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कई अधिकारियों की जान चली गड़ है, इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन स्निचित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार सामान्य जनता को रेत और नदी तल सामग्री (आरबीएम) आपूर्तिकर्ताओं के वैधानिक स्रोत से अवगत कराना स्निश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) : रेत खनन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम] और इस अधिनियम की धारा 15 के तहत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा बनाए गए गए खजिन छूट नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को खनिजों के अवैध खनन, दुलाई एवं भंडारण तथा उससे संबंधित उद्देश्यों से रोकने के लिए नियम बनाने हेतु अधिकार देती है तथा संधारणीय रेत खनन दिशा-निर्देश से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को भी लागू करती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने संधारणीय रेत प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2016 के पूरक के रूप में 'रेत खनन हेतु प्रवर्तन और निगरानी दिशा-निर्देश' जनवरी, 2020 में, देश में रेत खनन को विनियमित करने के लिए इसकी पहचान से लेकर उपभोक्ताओं और जन-सामान्य द्वारा इसके अंतिम उपयोग तक और प्रत्येक कदम पर रेत खनन की घटनाओं निगरानी के लिए आईटी सक्षम सेवाओं और नवीनतम तकनीकों के माध्यम से अवैध खनन की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जारी किए हैं। यह दस्तावेज विनियामक प्रावधान(नों) के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के संग्रह के लिए एक दिशानिर्देश के रूप मे कार्य करता है और यह सतत रेत खनन के लिए प्रभावी निगरानी और अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं को भी रेखांकित करता है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खिनजों के खनन के कारण पर्यावरणीय सुरक्षोपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर यथा-संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा को अनिवार्य बनाना शामिल हैं। यह नोट किया जाना चाहिए कि पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में सार्वजिनक परामर्श सिहत जन-सुनवाई का संचालन अंतिनिर्हित है।
